

नमस्कार,

यह संदेश मैं आपसे एक मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में साझा कर रही हूँ - जो हमारी दिल्ली को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-कुशल भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीते वर्षों में दिल्लीवासियों ने सौर ऊर्जा, ऊर्जा कुशल उपकरण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाकर सराहनीय जागरूकता दिखाई है। ये प्रयास न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनमोल है।

1. सोलर प्लांट लगाएं, और बिजली बिल को शून्य करें

भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दिल्ली सरकार की पूंजीगत सब्सिडी एवं 5 वर्षों के लिए **Generation-Based Incentive (GBI)** के साथ रूफटॉप सोलर लगाना अब पहले से कहीं अधिक किफायती हो गया है। बैंक भी 6.50-7 % की ब्याज दर पर दस वर्षों तक की आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। जिससे रूफटॉप सोलर लगाना और भी व्यावहारिक हो गया है।

उदाहरणतः, यदि आप 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसकी अनुमानित लागत ₹2,00,000 होगी, जिसमें सरकार द्वारा लगभग ₹1,08,000 की सब्सिडी दी जाएगी तथा उपभोक्ता द्वारा ₹92,000 की राशि वहन की जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत 500 यूनिट है, तो वह 3 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करके बिलकुल शून्य बिजली बिल पा सकता है। इससे मासिक बचत लगभग ₹2904-3282* होगी एवं 5 वर्षों तक लगभग ₹900 मासिक GBI भी मिलेगा।

***वार्षिक बचत (₹ में)** पीपीएसी भिन्नता के कारण डिस्कॉम के अनुसार अलग-अलग होता है।

2. छोटे कदम, बड़ी बचत

- एसी को 24°C पर सेट करें — हर 1°C बढ़ाने पर लगभग 6% बिजली की बचत होती है।
- पाँच-स्टार रेटेड AC और BLDC (Brushless Direct Current) पंखों का उपयोग करें।

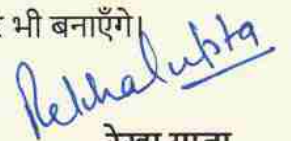
उपकरण	अनुमानित वार्षिक बचत (₹ में)*	अनुमानित बचत /वर्ष (यूनिट)
स्लिट AC	₹24696-34423	3,000 यूनिट
विंडो AC	₹23049-32058	2,800 यूनिट
BLDC पंखा	₹911-1831	160 यूनिट

* **वार्षिक बचत (₹ में)** डिस्कॉम और टैरिफ श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है

हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विज़न और आपकी नई सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, मैं सभी दिल्लीवासियों से अपील करती हूँ कि रूफ टॉप सोलर एवं ऊर्जा-कुशल उपकरण अपनाएँ और अपने घरों में स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील निर्णय लें।

ये छोटे-छोटे कदम न सिर्फ आपके बिजली बिल घटाएँगे, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर भी बनाएँगे।

आइए, मिलकर दिल्ली को रोशन करें - जिम्मेदारी और गर्व के साथ।



रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री, दिल्ली

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बढ़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनिनों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलि, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशन से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतल दूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केंवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केंवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

बारिश के दिनों में निम्नलिखित टिप्स अपनाएं, सुरक्षित रहें

सभी को आनंदित करने के लिए मॉनसून एक बार फिर हाजिर है। लेकिन आनंद के साथ मॉनसून अपने साथ अलग तरह की दिक्कतें और परेशानियां भी लाता है। पानी जमा होने की वजह से करंट फैलने और बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं का खतरा मॉनसून के सीजन में बढ़ जाता है। लेकिन, सामान्य सी सावधानियां अपनाकर आप अपने और अपने परिजनों के लिए मॉनसून को दुर्घटना रहित बना सकते हैं।



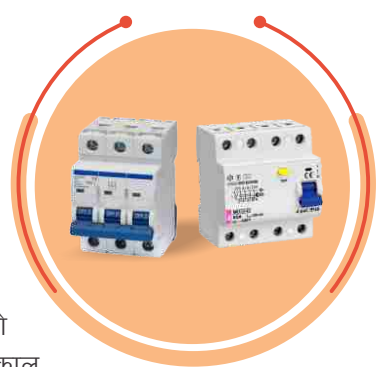
- बिजली के इंस्टॉलेशंस जैसे पोल, सब-स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, स्ट्रीटलाइट, आदि से दूर रहें।
- बच्चों को सावधान करें कि वे उपरोक्त इंस्टॉलेशंस के पास न खेलें, अगर उन्हें बैरिकेट किया गया हों तब भी।
- बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से न छुएं।
- एक टेस्टर घर पर रखें। अगर आपके घर का कोई स्विच या दीवार गीली हो, तो उसे न छुएं। पहले टेस्टर का इस्तेमाल करके देख लें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं। अगर जरूरत हो, तो अपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें।
- बिजली के झटकों व दुर्घटनाओं से बचने के लिए घर में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ईएलसीबी लगवाएं।

सुरक्षा सबसे पहले

ईएलसीबी जरूर लगवाएं

2 किलोवॉट या इससे अधिक बिजली लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए ईएलसीबी लगवाना अनिवार्य*

अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ईएलसीबी एक सामान्य लेकिन बहुत उपयोगी उपकरण है, जो अर्थ लीकेज का पता लगाती है और तत्काल परिसर/उपकरण में बिजली आपूर्ति को ट्रिप व डिस्कनेक्ट कर देती है और इस तरह, गंभीर दुर्घटनाओं को होने से रोकती है।



* सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट (सीईए) नियमावली 2015 के सेक्शन 42 के तहत